"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 277] रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई 2016— आषाढ़ 22, शक 1938

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 जुलाई, 2016 (आषाढ़ 22, 1938)

क्रमांक-7489/विधान/2016. — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -3) विधेयक, 2016 (क्रमांक 20 सन् 2016) पुर:स्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 20 सन् 2016)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2016

वित्तीय वर्ष 2016-2017 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 कहलाएगा.

वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए राज्य की संचित निधि में से 21,54,87,19,200 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2016 की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों को सम्मिलित करते हुए दो हजार एक सौ चौवन करोड़ सत्यासी लाख उन्नीस हजार दो सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं एवं प्रयोजनों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2016-2017 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वित्तीय वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
.	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	1,04,58,00,200	1,04,58,00,200
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	15,87,92,000	0	15,87,92,000
03	पुलिस	राजस्व	200	0	200
		पूंजी	2,71,76,000	0	2,71,76,000
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	70,00,000	0	70,00,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	7,29,47,000	0	7,29,47,000
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,43,00,000	24,70,600	5,67,70,600

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
08	भू राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	13,00,00,000	0	13,00,00,000
		पूंजी	100	0	100
10	वन	राजस्व	1,32,21,000	0	1,32,21,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,06,00,000	0	2,06,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	61,93,00,000	0	61,93,00,000
13	कृषि	राजस्व	22,46,00,300	0	22,46,00,300
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,56,09,000	0	2,56,09,000
		पूंजी	22,20,000	0	22,20,000
15	अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	42,00,000	0	42,00,000
17	सहकारिता	राजस्व	12,15,00,000	0	12,15,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	61,50,00,000	0	61,50,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	43,16,00,000	0	43,16,00,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	100	0	100
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	600	0	600
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	3,50,00,000	0	3,50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	41,28,87,300	0	41,28,87,300
		पूंजी	1,42,00,00,000	0	1,42,00,00,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	6,08,000	0	6,08,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	1,50,00,000	1,10,00,000	2,60,00,000
		पूंजी	50,80,000	0	50,80,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,65,03,60,000	0	2,65,03,60,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	20,00,000	0	20,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,14,00,000	0	20,14,00,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	6,25,00,000	0	6,25,00,000
36	परिवहन	राजस्व	41,40,000	0	41,40,000
37	पर्यटन	राजस्व	2,09,01,400	0	2,09,01,400
		पूंजी	14,98,82,000	0	14,98,82,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	37,00,00,000	0	37,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	2,74,90,45,600	0	2,74,90,45,600
		पूंजी	86,72,68,300	0	86,72,68,300
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	700	0	700
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	100	0	100
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	75,00,100	0	75,00,100
47	कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग.	राजस्व	9,94,06,100	0	9,94,06,100
		पूंजी	3,06,00,200	0	3,06,00,200
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	100	0	100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	13,23,00,100	0	13,23,00,100
		पूंजी	8,07,000	0	8,07,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	2,83,38,50,500	0	2,83,38,50,500
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,05,50,92,600	0	1,05,50,92,600
		पूंजी	27,74,60,200	0	27,74,60,200
66	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण.	राजस्व	8,03,60,000	0	8,03,60,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	87,45,000	0	87,45,000
		पूंजी	15,17,00,600	0	15,17,00,600

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	3,27,00,00,000	0	3,27,00,00,000
71	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग.	राजस्व	6,00,00,000	0	6,00,00,000
		पूंजी	2,36,00,000	0	2,36,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	7,90,200	0	7,90,200
		पूंजी	5,25,00,000	0	5,25,00,000
81	नगरीय निकायों की वित्तीय सहायता	राजस्व	88,52,96,000	0	88,52,96,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,48,00,000	0	2,48,00,000
	योग -	राजस्व	**16,43,02,52,600**	**1,05,92,70,800**	**17,48,95,23,400**
		पूंजी	**4,05,91,95,800**	**0**	**4,05,91,95,800**
	वृहद योग		**20,48,94,48,400**	**1,05,92,70,800**	**21,54,87,19,200**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 12 जुलाई, 2016

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 (3) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.